THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि पर ब्याज की दर

916. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत संचित धनराशि को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस धनराशि पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कर्मचारियों को जुलाई, 1977 में देय अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की उनकी जमा रकमों की दूसरी किस्त इन कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी ।

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत जमा कराई गई रकमों पर अधिकतम बैंक जमा दर से 2.5 प्रतिशत अधिक दर पर साधारण ब्याज मिलता है (इस समय ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत वार्षिक है) । जब ऊपर बताई गई दूसरी किस्त की जुलाई, 1977 में वापसी की जाएगी तब जमा रकमों पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी भी कर दी जाएगी । जब यह रकम कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी तब इस पर संबंधित भविष्य निधि स्कीम पर लागू दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा ।

Ban on export of vegetables and meat to Gulf Countries

917. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have been urged to ban the export of vegetables, meat and other products to Gulf Countries; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). The export policy of essential commodities and articles of mass consumption including vegetables and meat is regulated with a view to ensure that the domestic supply and prices of these items are not adversely affected.